उत्तराखण्ड शासन

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

संख्या– 169052 /XXVII(7)/58273/2023

देहरादूनः दिनांक 17 नवम्बर, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–3525/सात/2004/17–उद्योग/04 दिनांक 10 जनवरी, 2005 तथा शासनादेश संख्या–2740/VII-I-10/17–उद्योग/2004 दिनांक 12 जनवरी, 2011 एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्याः 101/XXVII(7)/20-27(5)/2010 दिनांक 04 मई, 2020 द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी के लिए निर्धारित व्यवस्था को समाप्त करते हुए उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष रू0 2,400/– (रू0 दो हजार चार सौ मात्र) वर्दी भत्ता अनुमन्य करते हुए सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन खाते में निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमा किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) समस्त महिला एवं पुरूष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा वर्दी सिलवाने के पश्चात् आहरण–वितरण को इस आशय का प्रमाण दिया जायेगा कि वर्दी सिलवा ली गयी है एवं सुव्यवस्थित अवस्था में है।

(ii) समस्त महिला एवं पुरूष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रत्येक कार्य दिवस में वर्दी धारण कर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

(iii) समस्त महिला एवं पुरूष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वर्दी पर बायीं ओर उनका नाम और पदनाम अंकित होगा एवं वर्दी अनिवार्य रूप से धारण की जायेगी।

(iv) यदि कोई पुरूष एवं महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्दी में कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं तो वर्दी हेतु अनुमन्य धनराशि सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल करते हुए उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(v) वर्दी अनुमन्य किये जाने के पश्चात सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/जिस अधिकारी के साथ कर्मचारी तैनात है का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्दी में ही कार्यालय आये।

(vi) यह आदेश जनवरी, 2024 से लागू होगा।

Signed by Anand Bardhan
Date: 16-11-2023 11:23:59

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

FIN7/16/2023-XXVII-7-Finance Department

संख्याः 169052 **(1)/XXVII(7)/E-58273/2023 तद्दिनांकित।**

/169052/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
11. निदेशक, आडिट विभाग, उत्तराखण्ड।
12. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. प्रदेश महामंत्री, चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Ganga Prasad
Date: 16-11-2023 18:35:16

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।